

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न

<p>श्री विभाषचन्द्र चौधरी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-13.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पुन-7 के संबंध में। क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>तारांकित प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत, द० मुरादपुर पंचायत एवं सरलाही पंचायत तथा बरारी प्रखंड के बनिया सुखाय पंचायत में अगस्त से सितम्बर, 2013 तक में आयी भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि 1500 रूपया एवं एक क्विंटल अनाज नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?</p>	<p>1. जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 1255 दिनांक-05.12.2013 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार कुर्सेला प्रखंड के शाहपुर धर्मी द० मुरादपुर एवं सरलाही पंचायतों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में अनुमान्य खाद्यान्न एवं नगद राशि उपलब्ध करा दी गई है। 2. इसी प्रकार बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय पंचायत के बाढ़ प्रभावितों के बीच मुफ्त सहायता के रूप में खाद्यान्न एवं नगद राशि का वितरण चल रहा है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०ता०प्र०-142 / 2013 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -2885 दि०-04.12.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि०स०ता०प्र०-142 / 2013 / 55-37 / आ०प्र०, पटना-15, दि०- 26/12/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/12/13
विशेष कार्य पदाधिकारी